राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/नहर निर्माण विस्तार/2016–17/ 19997-20007 दि. 2/8/2021
उपायुक्त,
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
प्रतापगढ़।

विषय– Canal Lining Work of LMC From RD 0 M to RD 6450 M of Bhanwar Semla irrigation Project की वित्तीय स्वीकृति।
प्रसंग– विभागीय प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक 19110–18 दिनांक 23.07.2021।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्रावली के पैरा 246/एन पर अनुमोदन पश्चात निम्नलिखित नहर निर्माण की अधिशाषी अभियंता,जल संसाधन खण्ड प्रतापगढ से तकमीना एवं अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, वृत भीलवाडा से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने से निम्नानुसार नहर निर्माण कार्य की कॉलम संख्या 5 अनुसार राशि 323.12 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी – जल संसाधन विभाग (राशि लाख रू. मे)

क.स.	कार्य का नाम व स्थान	प्रशासनिक स्वीकृति		तकनीकी स्वीकृति		0.25% कन्टिजेन्सी चार्ज राशि आयुक्त खाते में
		क्र/दि	राशि	क्र/दि	राशि	
0	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Canal Lining Work of LMC From RD 0 M to RD 6450 M of Bhanwar Semla irrigation Project पं.स. पीपलखूंट	19110–18 23.07.2021	323.12	01/ 2021-22	323.12	0.80

विभागीय आदेश परिपत्र कमांक 9609–34 दिनांक 12.03.2021 अनुसार कन्टीजेन्सी चार्ज 1.50 प्रतिशत अनुमत करते हुए जिसके अन्तर्गत 0.25 प्रतिशत आयुक्तालय के खाते में मानव संसाधन के नियोजन, क्षेत्रीय निरीक्षण हेतु वाहन उपलब्ध कराने एवं थर्ड पार्टी निरीक्षण हेतु आरक्षित रखने के क्रम में उपरोक्त कार्य की द्वितीय किश्त हस्तांतरित करते समय राशि रूपये 0.80 लाख जमा कर देय होगी। विभागीय पत्रांक 24804–15 दिनांक 23.08.2017 द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति अनुसार राशि रू. 187.60 लाख उपायुक्त, टीएडी प्रतापगढ को हस्तान्तरित की गई थी। **उक्त स्वीकृति को विभागीय पत्रांक 19099–19109 दिनांक 23.07.2021 द्वारा निरस्त किया गया। पूर्व में हस्तांतरित राशि रू. 187.60 लाख उपरोक्त कार्य में उपयोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।**

कार्यो का सम्पादन निम्नांकित शर्तो के अधीन कराया जावे। शेष राशि कार्यो की प्रगति एवं हस्तांतरित राशि के उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर दी जायेगी।

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावें। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावे ताकि मूल लागत राशि में वृद्वि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्वि होती है तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. राजस्थान लोक उपापन मे पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन नियम 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।

4. राशि का व्यय तकनिकी स्वीकृति अनुसार पूर्ण गुणवत्ता पूर्वक वित्तीय स्वीकृति की सीमा मे सम्पादित किया जावें। तकनीकी एस्टीमेट एवं स्वीकृति के आधार पर विभाग कार्यकारी एजेन्सी द्वारा जारी कार्यादेश एवं नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पुर्वानुमति से नहीं किया जावे। **कार्यादेश की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करवाई जावें।**
5. कार्यो को प्रारम्भ करने से पूर्व प्रगति पर तथा पूर्ण होने पर फोटोग्राफ्स लिये जावे व फोटोग्राफ्स इस विभाग को उपलब्ध करावें जिन्हें विभागीय वेब-साईड पर अपलोड किया जा सकें।
6. उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कार्यकारी एजेन्सी को नियमानुसार राशि हस्तांतरित की जायेगी एवं कार्यो के उपयोगिता एवं कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर एवं समायोजित कर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।
7. कार्य स्थल पर जनजाति विभाग द्वारा निर्माण कार्य का साईन बोर्ड (Display Board) लगाया जावें।

(प्रज्ञा केवलरमानी)IAS
आयुक्त

क्र. एफ 5/अभि/सीटीएडी/नहर निर्माण विस्तार/2016-17/ 19997-20007 दि. 2/8/2021

प्रतिलिपि -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राज. जयपुर।
4. जिला कलक्टर, प्रतापगढ।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता जल संसाधन संभाग उदयपुर।
6. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग, वृत भीलवाडा को भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
7. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रतापगढ भेजकर लेख है कि कृपया कार्य का नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक सम्पादन सुनिश्चित करें।
8. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
9. निदेशक, मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
10. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर

1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.) PABX: 2428721-24 फेक्स : 0294-2428721
ई-मेल : comm.tad@rajasthan.gov.in ,Website www.tad.rajasthan.gov.in